झारखण्ड सरकार

श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री

2016-2017 की उपलब्धि
एवं
2017-2018 की कार्य योजना

झारखण्ड सरकार

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

झारखण्ड सरकार

2016-2017

की उपलब्धि

एवं

2017-2018

की कार्य योजना

झारखण्ड सरकार

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

1. परिचय

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार का एक गैर योजना विभाग है। विभाग का मुख्य कार्य मादक द्रव्यों के विनियमन से संबंधित प्रशासन का संचालन करना एवं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से एक ''मद्य निषेध'' की दिशा में यथा सम्भव कारगर प्रयास करना है।

2. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रमुख कार्य

उत्पाद वस्तुओं के विनियमन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों के संग्रहण से राजस्व प्राप्ति कर राजकीय कोष को समृद्ध करना है। राजस्व वृद्धि के सतत् प्रयास के फलस्वरूप राज्य के विकास एवं लोक हितकारी योजनाओं को बल प्राप्त होता है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं इसके अन्तर्गत बने विभिन्न नियमावली के तहत उत्पाद वस्तुओं के विनियमन हेतु विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्ति, पास एवं परमिट निर्गत किया जाता है। इन उत्पाद वस्तुओं के विधि सम्मत पर्यवेक्षण हेतु विभाग द्वारा मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जानेवाले लेबलों के निबंधन /नवीकरण एवं अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का निर्धारण का कार्य भी किया जाता है।

मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण, छापामारी एवं अन्य निरोधात्मक कार्य किया जाता है।

3. लक्ष्य

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मुख्य लक्ष्य झारखण्ड उत्पाद अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत गठित विभिन्न नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राजकीय कोष हेतु उत्तरोत्तर राजस्व संग्रहण में वृद्धि करना है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग स्वच्छ, सुदृढ़, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासन प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उत्पाद विभाग द्वारा प्रदान की जानेवाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण विभागीय कार्रवाई एवं प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में विभाग प्रवृत्त है।

4. विभागीय कार्य निष्पादन हेतु शक्ति के स्रोत

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मुख्यतः झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915, स्वापक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, औषधि प्रसाधन निर्मित्तियाँ (उत्पाद) शुल्क अधिनियम, 1955, छोआ अधिनियम, 1947 तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बने विभिन्न नियमों के अनुसरण में कार्यों का निष्पादन करता है।

5. प्रशासनिक ढांचा

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का प्रशासन त्रिस्तरीय ढांचे के तहत कार्य करता है। सर्वोच्च स्तर पर सचिव एवं आयुक्त उत्पाद का कार्यालय है जो उत्पाद मुख्यालय का कार्य करता है तथा राज्य सरकार के निर्देशन में झारखण्ड उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत उत्पाद नीति निर्धारण एवं प्रशासनिक व्यवस्था का पर्यवेक्षण एवं संचालन करता है।

द्वितीय स्तर पर प्रमण्डलीय उपायुक्त उत्पाद का कार्यालय है, जो मुख्यतः प्रमण्डल के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न जिलों में उत्पाद प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है।

तृतीय स्तर पर जिला उत्पाद प्रशासन है जिसके प्रधान जिला के उपायुक्त होते हैं तथा दैनिक उत्पाद कार्यों का निष्पादन जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद अपने अधीनस्थ निरीक्षक उत्पाद, अवर निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद एवं उत्पाद सिपाही के सहयोग से करते हैं।

6. झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2010–11 में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन राज्य सरकार के द्वारा मदिरा के व्यापार पर इने–गिने व्यवसायिक समूह के एकाधिकार को समाप्त करने तथा युक्तियुक्त मूल्य पर गुणवत्तायुक्त मदिरा आपूर्ति करने के उद्देश्य से किया गया है। सम्प्रति देशी शराब/मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब की थोक बिक्री का अनन्य विशेषाधिकार झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से यह सम्पूर्ण राज्य में क्रियाशील है एवं सफलतापूर्वक मदिरा की थोक आपूर्ति का कार्य खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को कर रहा है। सम्प्रति सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में 19 गोदामों के साथ राज्य के सभी 24 जिलों में विदेशी शराब (भारत

निर्मित), देशी शराब, मसालेदार देशी शराब का थोक व्यवसाय कर रही है तथा दो गोदाम खूँटी एवं लोहरदग्गा में बनकर तैयार है, जो संचालित होने की स्थिति में है। सुचारू रूप से कार्य निष्पादन के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वेबसाइट विकसित किया गया है तथा 'ऑर्डर फॉर सप्लाई' प्राप्त करने एवं एतद् संबंधी पारक निर्गत करने की प्रक्रिया पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है। डिपो में मौजूद स्कन्ध की जानकारी भी वेबसाइट पर सदैव उपलब्ध रहती है। इस पर मदिरा के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य की सूचना भी उपलब्ध है।

खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को समयबद्ध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन की नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी तक झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लगभग 64.07 करोड़ रु. राज्य कोषागार में जमा किया गया है।

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन के सभी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन करने के दृष्टिकोण से वितरक आपूर्तिकर्ताओं से वसूला जानेवाला demurrage charge, डिपो क्षति एवं देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब हेतु ऑनलाइन order for supply, परिवहन पास की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ कर दी गई है।

7. ई0आई0बी0 एवं निगरानी कोषांग का गठन

अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर नियंत्रण के उद्देश्य से उत्पाद मुख्यालय में एक ई.आई.बी. (Excise Intelligence Bureau) का गठन किया गया है। इस इकाई को क्रियाशील किया गया है एवं अधीक्षक उत्पाद स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया गया है।

8. वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा किये गये विभिन्न कार्य

(i) वित्तीय वर्ष 2016–17 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य 1500 करोड़ के विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक 729.05 करोड़ रुपये (सात सौ उनतीस करोड़ पाँच लाख रु.) राजस्व की प्राप्ति हुई है। जो गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के दिसम्बर माह तक प्राप्त

राजस्व की तुलना में लगभग 129.23 करोड़ रु. अधिक है तथा गत वर्ष की तुलना में 21.55 प्रतिशत राजस्व में वृद्धि है।

(ii) उत्पाद राजस्व में वृद्धि एवं अवैध शराब के चौर्य व्यापार पर प्रभावकारी नियंत्रण के लिए राज्य के हजारीबाग (चौपारण), धनबाद (चिरकुंडा) में स्थापित "इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट" पर उत्पाद कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

(iii) प्रत्येक जिला में अवैध मदिरा के निर्माण एवं उसके चौर्य व्यापार पर प्रभावी रोकथाम हेतु जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में "टास्क फोर्स" का गठन किया गया है, जो सतत् रूप से कार्य कर रहा है। इससे अवैध मदिरा के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लग सका है। प्रत्येक शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम में मुख्यालय स्तर से इसकी समीक्षा की जा रही है।

(iv) मद्य निषेध नीति को लागू करने, राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति हेतु अवैध शराब निर्माताओं एवं विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 8912 अभियोग दर्ज किए गए हैं जिसमें 398 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है तथा संधान शुल्क के रूप में रु. 1,41,59,950/–(एक करोड़ एकतालीस लाख उनसठ हजार नौ सौ पचास रु.) राशि की वसूली की गई है।

(v) अवैध शराब एवं चौर्य व्यापार पर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु Excise Adhesive Label की नीति का क्रियान्वयन किया गया है। मनोनयन के आधार पर भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड, महाराष्ट्र से EAL प्राप्त कर सभी मदिरा के विनिर्माता कम्पनियों को वितरित कर दिया गया है। यह व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

(vi) पहली बार विभाग में योजना मद का सृजन किया गया एवं 36,98,91,500/– करोड़ रुपये (छत्तीस करोड़ अनठानबे लाख इकानबे हजार पाँच सौ रु.) की लागत से 'उत्पाद भवन' बनाने की योजना का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें उत्पाद प्रयोगशाला का भी प्रावधान रखा गया है। गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 10 करोड़ रु. के आवंटन के विरुद्ध कार्यकारी एजेंसी द्वारा शत–प्रतिशत व्यय

कर दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में पुनः 10 करोड़ रु. की राशि कार्यकारी एजेंसी को प्राप्त करा दी गई है।

(vii) विभागीय कार्य में उत्तरोत्तर प्रगति तथा कार्य बल की कमी को दूर करने के लिये विभिन्न नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया एवं तदनुसार निरीक्षक उत्पाद के 08, अवर निरीक्षक उत्पाद के 55, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के 47, उत्पाद सिपाही के 436 एवं उत्पाद लिपिक के 17 पदों पर भर्ती हेतु नियुक्ति अधियाचना सक्षम प्राधिकार को भेजी गई थी।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को निरीक्षक उत्पाद, अवर निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

(viii) राज्य के अन्तर्गत मदिरा के विनिर्माण, वितरण एवं थोक बिक्री से संबंधित सभी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठानों में सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के निमित्त CCTV लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

(ix) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (J.S.B.C.L) के सभी कार्य ONLINE संचालित किये जा रहे हैं। आसवनी/मदिरा के विनिर्माणशाला (BOTTLING PLANT)/वितरकता इकाई तथा थोक बिक्री केन्द्रों के online Supervision की व्यवस्था विकसित की जा रही है।

(x) झारखण्ड सरकार के बेवसाइट www.jharkhand.gov.in पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित पोर्टल में उत्पाद अधिनियम, नियम, अधिसूचित अधिसूचनाओं, प्रतिवेदनों आदि को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु अपलोड करने की कार्रवाई की गई है, जिसे समय–समय पर अपडेट करते रहने हेतु विभाग कृत संकल्पित है।

(xi) स्वापक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत निरीक्षक उत्पाद एवं अवर निरीक्षक उत्पाद को तलाशी, जप्ती, गिरफ्तारी एवं अभियोग दर्ज करने की शक्ति प्रदत्त है। राज्य के युवा वर्ग को स्वापक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ के कुप्रभाव से बचाने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा छापामारी कार्य

किया जाता है। विशेषकर पलामू, लातेहार एवं चतरा जिलों में अवैध अफीम की खेती की सूचना प्राप्त होता है तो उसके विरुद्ध जिला पुलिस, अर्द्ध सैन्य बल के सहयोग से अफीम के फसल को विनष्ट भी किया जाता है। स्वापक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर निदेश निर्गत किये जाते रहे हैं एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के द्वारा उत्पाद पदाधिकारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करने के लिए उत्पाद विभाग दृढ़ संकल्पित है।

(xii) उत्पाद प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सभी जिलों में उत्पाद कार्यालय का क्रियान्वयन करते हुए उत्पाद पदाधिकारियों एवं कर्मियों का पदस्थापन कर दिया गया है।

(xiii) राजस्व संग्रहण के कार्यों के सतत् पर्यवेक्षण हेतु संयुक्त आयुक्त उत्पाद के पद का सृजन किया जा चुका है।

(xiv) उत्पाद प्रयोगशाला की योजना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से रसायन परीक्षक, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचर (बाह्य स्रोत से) के एक–एक पदों का सृजन किया गया।

(xv) उत्पाद प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन कार्य प्रणाली को विकसित करते हुए जिला के उत्पाद पदाधिकारियों एवं कर्मियों को एन0आई0सी0 के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया।

(xvi) आम जनता की सुविधा के लिये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का “सिटिजन चार्टर” तैयार कर विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।

9. विभाग की मद्य निषेध नीति

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसरण में राज्य में मद्य निषेध नीति लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

(i) राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति के अन्तर्गत मदिरा के प्रत्येक बोतल पर सुस्पष्ट लाल अक्षरों में ''मदिरापान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है'' अंकित करना अनिवार्य है।

(ii) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है ।

(iii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के वैसे ग्राम पंचायतों जहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक है वहाँ मदिरा की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है। राज्य में पचवई की दुकानों की बन्दोबस्ती पर प्रतिबंध है तथा इसकी खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति समाप्त कर दी गयी है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामाजिक एवं त्योहारों के अवसर पर इसके उपभोग के लिए सीमित मात्रा में पचवई बनाने एवं रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(iv) अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री को पूर्णरूप से प्रतिबंधित करने हेतु सीमित साधन के बावजूद गहन छापामारी कार्य कराया जाता है।

(v) राज्य में मदिरा के प्रचार एवं प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है।

(vi) 15 अगस्त, 26 जनवरी, 02 अक्टूबर, रामनवमी, दशहरा, होली, ईद एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

10. कार्य योजना

(i) उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त विभाग में कम्प्यूटरीकरण के निम्नलिखित कार्य, विकास के विभिन्न चरणों में हैं जिन्हें वर्ष 2017–18 से लागू किये जाने की योजना है। ऐसे कार्य निम्नवत हैं :–

(a) उत्पाद विभाग का स्वतंत्र बेवसाइट विकसित करने का कार्य। ऑनलाइन रिटेल परमिट, ऑनलाइन ट्रान्सपोर्ट परमिट, ऑनलाइन लॉटरी एप्लीकेशन सिस्टम, Online license under the aegis of ease of doing business, Inventory Management system संबंधी सभी कार्य।

(b) ERP (Enterprises Resourse Planning) का कार्य।

(c) खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को वित्तीय वर्ष 2017–18 से ऑनलाइन परमिट निर्गत करने का कार्य।

(ii) विभाग में मानव संसाधन बल की अत्यन्त कमी है। वर्तमान में यह कुल स्वीकृत बल का मात्र 25 प्रतिशत ही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इन सभी रिक्त पदों पर शत–प्रतिशत नियुक्ति सम्पन्न करना विभाग की प्राथमिकता है।

(iii) आधारभूत संरचना, यथा–वाहन, जेल, हाजत, बैरक आदि के नहीं होने से उत्पाद पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने शत–प्रतिशत क्षमता का योगदान राजस्व संग्रहण में नहीं कर पाते हैं। अतः आधारभूत संरचना में वृद्धि हेतु प्रस्ताव सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये सक्षम प्राधिकार को उपस्थापित किया जाएगा।

(iv) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 में उत्पाद भवन का निर्माण पूर्ण करने की योजना है।

(v) वर्तमान में झारखण्ड राज्य में कार्यरत आसवनी एवं बॉटलिंग इकाइयों को मदिरा की जाँच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार, पटना को नमूना भेजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उत्पाद पदाधिकारियों को अभियोजन के दौरान मदिरा की जाँच करने के लिए राज्य के बाहर के प्रयोगशाला में नमूना का प्रेषण करना पड़ता है।

अतः उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 में उत्पाद रसायन परीक्षक एवं अनुषंगी पदों पर नियुक्ति एवं उत्पाद प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की योजना है। उत्पाद प्रयोगशाला की स्थापना से अवैध और जहरीले मदिरा की जाँच में सहायता मिलेगी जिससे उनकी बिक्री पर प्रभावी रोक लग पायेगा।

(vi) उपायुक्त उत्पाद के अतिरिक्त पद की स्वीकृति हेतु कार्य किया जाना है।

(vii) नव नियुक्त निरीक्षक उत्पाद, अवर निरीक्षक उत्पाद एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

अनुसूची-I

विभागीय शक्ति के स्रोत

झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915

झारखण्ड छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947

औषधीय एवं प्रसाधन निर्मित्तियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955

स्वापक द्रव्य एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

अनुसूची-II

प्रशासनिक ढाँचा

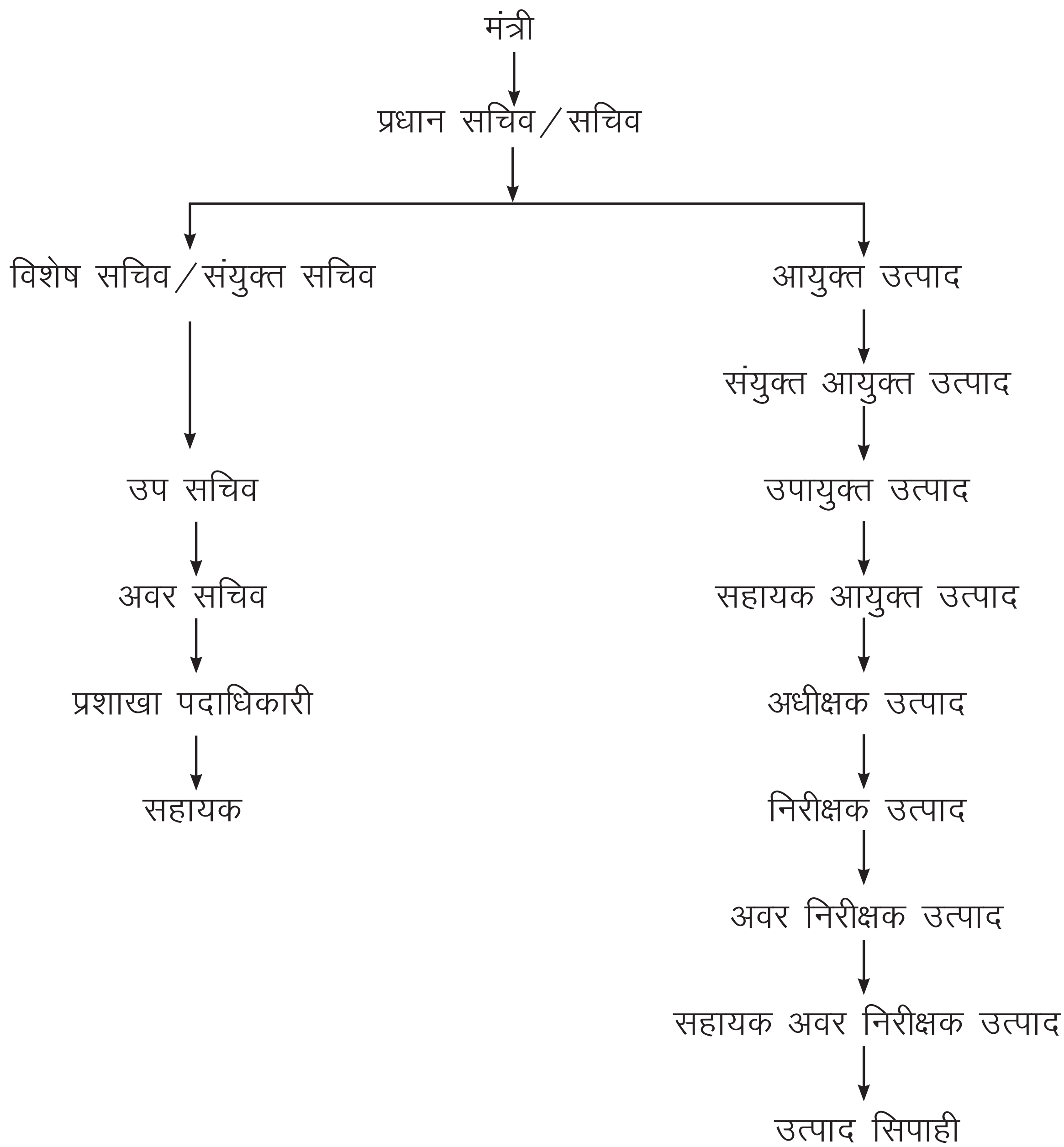

नोट :– उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति सदस्य, राजस्व पर्षद में निहित है।

अनुसूची-III

प्रमण्डलीय उत्पाद प्रशासन

प्रमण्डल स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा

उपायुक्त उत्पाद

अवर निरीक्षक उत्पाद

सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद

उत्पाद सिपाही

उत्पाद लिपिक

प्रमण्डलीय उत्पाद कार्यालय के अन्तर्गत आनेवाले जिले

क्र.सं.	प्रमण्डलीय उत्पाद कार्यालय का नाम	प्रमण्डलीय उत्पाद कार्यालय के अन्तर्गत आनेवाले जिलों का नाम
1	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल–सह–कोल्हाण–सह–पलामू प्रमण्डल, राँची	राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, सरायकेला–खरसावाँ, गढ़वा
2	उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह
3	संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका	दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़

अनुसूची-IV

जिला स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद

निरीक्षक उत्पाद

अवर निरीक्षक उत्पाद

सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद

उत्पाद सिपाही

उत्पाद लिपिक

अनुसूची-V

उत्पाद कार्यालयों के नाम

क.सं.	कार्यालय का नाम
1	उपायुक्त उत्पाद, द. छो.–सह–पलामू–सह–कोल्हान प्रमण्डल, राँची
2	उपायुक्त उत्पाद, उ. छो. प्रमण्डल, हजारीबाग
3	उपायुक्त उत्पाद, सं. प. प्रमण्डल, दुमका
4	सहायक आयुक्त उत्पाद, राँची
5	सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग
6	सहायक आयुक्त उत्पाद, बोकारो
7	सहायक आयुक्त उत्पाद, धनबाद
8	सहायक आयुक्त उत्पाद, पूर्वी सिंहभूम
9	सहायक आयुक्त उत्पाद, रामगढ़
10	अधीक्षक उत्पाद, चतरा
11	अधीक्षक उत्पाद, खूँटी
12	अधीक्षक उत्पाद, दुमका
13	अधीक्षक उत्पाद, गोड्डा
14	अधीक्षक उत्पाद, साहेबगंज
15	अधीक्षक उत्पाद, गुमला
16	अधीक्षक उत्पाद, लोहरदगा
17	अधीक्षक उत्पाद, सिमडेगा
18	अधीक्षक उत्पाद, प. सिंहभूम
19	अधीक्षक उत्पाद, पलामू
20	अधीक्षक उत्पाद, लातेहार
21	अधीक्षक उत्पाद, देवघर
22	अधीक्षक उत्पाद, गिरिडीह
23	अधीक्षक उत्पाद, पाकुड़
24	अधीक्षक उत्पाद, सरायकेला–खरसावाँ
25	अधीक्षक उत्पाद, जामताड़ा
26	अधीक्षक उत्पाद, गढ़वा
27	अधीक्षक उत्पाद, कोडरमा
28	अधीक्षक उत्पाद (ई0आई0बी0) मुख्यालय
29	अधीक्षक उत्पाद, मेसर्स अंकुर बायोकेम प्रा0 लि0 (आसवनी), तेतुलिया, निरसा, धनबाद

अनुसूची-VI

कार्यरत बल की सूची

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत	कार्यरत्	रिक्तियाँ
1	संयुक्त आयुक्त उत्पाद	रु. 37400–67000 ग्रेड पे– 8700	1	–	1
2	उपायुक्त उत्पाद	रु. 15600–39100 ग्रेड पे– 7600	4	1	3
3	सहायक आयुक्त उत्पाद	रु. 9300–34800 ग्रेड पे– 5400	7	4	3
4	रसायन परीक्षक	रु. 9300–34800 ग्रेड पे– 5400	1	–	1
5	अधीक्षक उत्पाद	रु. 9300–34800 ग्रेड पे– 4800	20	7	13
6	निरीक्षक उत्पाद	रु. 9300–34800 ग्रेड पे– 4200	37	32	5
7	तकनीशियन	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 2800	1	–	1
8	आशुटंकक	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 2400	7	–	7
9	अवर निरीक्षक उत्पाद	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 2400	125	64	61
10	प्रयोगशाला सहायक	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 2400	1	–	1
11	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 2000	105	24	81
12	उत्पाद सिपाही	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 1900	622	109	513
13	उत्पाद लिपिक	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 1900/2400	87	50	37
14	चालक	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 1900	36	6	30
15	दफ्तरी	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 1650/1800	7	4	3
16	अनुसेवक	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 1650/1800	3	3	–
17	प्रयोगशाला परिचर	रु. 5200–20200 ग्रेड पे– 1900	1 ब्राह्य स्रोत से	–	1

अनुसूची-VII

वर्षवार राजस्व प्राप्ति

क्रमांक	वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (करोड़ रु. में)	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1	2001.2002	200.00	101.98
2	2002.2003	224.10	101.88
3	2003.2004	252.47	94.50
4	2004.2005	125.00	152.00
5	2005.2006	155.00	159.00
6	2006.2007	200.00	127.43
7	2007.2008	225.00	149.91
8	2008.2009	300.00	204.54
9	2009.2010	330.00	329.87
10	2010.2011	525.00	407.62
11	2011.2012	700.00	492.13
12	2012.2013	700.00	593.00
13	2013.2014	700.00	643.70
14	2014.2015	850.00	764.55
15	2015.2016	1200.00	915.68
16	2016.2017 (दिसम्बर, 2016 तक)	1500.00	729.05

अनुसूची-VIII

खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती से संबंधित आंकड़े

प्रकार	स्वीकृत संख्या		बन्दोबस्त दुकान		बन्दोबस्ती का प्रतिशत	
	2015-16	**2016-17**	**2015-16**	**2016-17**	**2015-16**	**2016-17**
देशी शराब	483	487	433	423	89.65%	86.86%
विदेशी शराब	702	725	659	684	93.87%	94.34%
कम्पोजिट	336	342	318	325	94.64%	95.03%
कुल :	1521	1554	1410	1432	92.70%	92.15%

अनुसूची - IX

उत्पाद वस्तुओं की खपत से संबंधित आंकड़े

वर्ष	मद	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	खपत एल.पी.ली./ब.ली.
2006–2007	देशी शराब	8845634.00 LPL	1055824.00 LPL
	विदेशी शराब	5988318.00 LPL	7922660.00 LPL
	बीयर	6072172.00 B.L.	5100870.00 BL
	मसालेदार देशी शराब	1231954.00 LPL	118880.00 LPL
2007–2008	देशी शराब	9229557.00 LPL	719962.47 LPL
	विदेशी शराब	6058141.00 LPL	8412513.06 LPL
	बीयर	6041628.00 B.L.	6992264.67 BL
	मसालेदार देशी शराब	1453226.00 LPL	214215.37 LPL
2008–2009	देशी शराब	9140486.00 LPL	1628299.00 LPL
	विदेशी शराब	9225068.00 LPL	6245861.00 LPL
	बीयर	7839298.00 B.L	7693572.00 BL
	मसालेदार देशी शराब	1469802.00 LPL	237201.00 LPL
2009–2010	देशी शराब	1,01,53,090.00 LPL	59,08,971.29 LPL
	विदेशी शराब	1,11,32,213.00 LPL	93,26,288.32 LPL
	बीयर	90,60,997.00 BL	1,43,52,277.83 BL
	मसालेदार देशी शराब	16,76,866.00 LPL	5,75,068.81 LPL
2010–2011	देशी शराब	1,11,68,400.00 LPL	92,12,745.00 LPL
	विदेशी शराब	1,22,45,435.00 LPL	1,25,33,406.00 LPL
	बीयर	1,41,35,155.00 BL	2,20,63,583.00 BL
	मसालेदार देशी शराब	18,44,553.00 LPL	10,50,150.00 LPL
2011–2012	देशी शराब	1,17,26,820.00 LPL	1,01,01,936.23 LPL
	विदेशी शराब	1,28,57,708.00 LPL	1,51,77,770.41 LPL
	बीयर	1,69,62,187.00 BL	2,31,69,354.97 BL
	मसालेदार देशी शराब	19,36,780.00 LPL	6,37,479.56 LPL

2012–2013	देशी शराब	1,25,47,698.00 LPL	1,18,78,411.70 LPL
	विदेशी शराब	1,37,58,750.00 LPL	1,61,39,962.20 LPL
	बीयर	2,12,02,738.00 BL	2,59,90,968.00 BL
	मसालेदार देशी शराब	20,72,355.00 LPL	6,93,976.33 LPL
2013–2014	देशी शराब	1,29,57,297.00 LPL	1,12,41,519.99 LPL
	विदेशी शराब	1,56,20,451.00 LPL	1,59,97,098.66 LPL
	बीयर	2,40,13,225.00 BL	2,38,10,472.01 BL
	मसालेदार देशी शराब	21,02,224.00 LPL	8,13,955.04 LPL
2014–2015	देशी शराब	1,32,16,444.00 LPL	1,03,49,834.00 LPL
	विदेशी शराब	1,64,04,474.00 LPL	1,68,10,378.00 LPL
	बीयर	2,76,15,210.00 BL	2,84,93,410.00 BL
	मसालेदार देशी शराब	21,44,269.00 LPL	6,91,077.00 LPL
2015–2016	देशी शराब	1,34,80,773.00 LPL	84,08,473.38 LPL
	विदेशी शराब	1,75,49,575.00 LPL	1,52,56,099.20 LPL
	बीयर	3,03,76,733.00 BL	2,70,55,514.19 BL
	मसालेदार देशी शराब	21,87,157.00 LPL	9,31,341.59 LPL
2016–2017 माह दिसम्बर, 2016 तक	देशी शराब	1,39,85,641.00 LPL	70,80,746.80 LPL
	विदेशी शराब	1,89,15,683.00 LPL	1,30,24,920.87 LPL
	बीयर	3,34,24,724.00 BL	2,02,52,768.77 BL
	मसालेदार देशी शराब	22,09,028.00 LPL	10,02,369.42 LPL

अनुसूची-X

उत्पाद वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाई

क्रमांक	औद्योगिक इकाई का नाम
1	सर्वश्री अंकुर बायोकेम प्रा0 लि0, निरसा, धनबाद (डिस्टीलरी)
2	सर्वश्री स्पेन्सर डिस्टीलरीज एण्ड ब्रिवरीज प्रा0 लि0, टुपुदाना, हटिया, राँची
3	सर्वश्री अजन्ता बॉटलर्स एण्ड ब्लेन्डर्स प्रा0 लि0, टुपुदाना, हटिया, राँची
4	सर्वश्री जेमिनी डिस्टीलरीज (झा0) प्रा0 लि0, टाटीसिल्वे, राँची
5	सर्वश्री श्रीलैब ब्रिवरीज प्रा0 लि0, टाटीसिल्वे, राँची
6	सर्वश्री ओम बॉटलर्स एण्ड ब्लेन्डर्स प्रा0 लि0, बोकारो
7	सर्वश्री सिलिका बॉटलिंग एण्ड ब्लेन्डिंग प्लान्ट प्रा0 लि0, राँची
8	सर्वश्री पॉली हिल्स ब्रिवरी लिमिटेड, रामगढ़ (ब्रिवरी)

अनुसूची-XI

देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के उत्पादन हेतु प्रदत्त अनन्य विशेषाधिकार अनुज्ञप्ति की सूची

देशी शराब

क्र.सं.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्र के अन्तर्गत जिला
1	मेसर्स कुमार बॉटलर्स, नावाटोली, डाल्टेनगंज, पलामू	राँची	1. राँची * 2. खूंटी 3. गुमला 4. सिमडेगा 5. लोहरदगा 6. पश्चिमी सिंहभूम 7. सरायकेला–खरसावाँ 8. पूर्वी सिंहभूम * 9. पलामू * 10. लातेहार 11. गढ़वा
2.	मेसर्स माँ तारिणी नेचुरल रिर्सोसेज प्रा0 लि0, 77 / 1बी0, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता	धनबाद	1. दुमका * 2. गोड्डा 3. जामताड़ा * 4. देवघर 5. साहेबगंज 6. पाकुड़ 7. बोकारो * 8. हजारीबाग * 9. कोडरमा 10. चतरा 11. रामगढ़ 12. गिरिडीह 13. धनबाद *

मसालेदार देशी शराब

क्र.सं.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्र के अन्तर्गत जिला
1	सर्वश्री जेन्विन बॉटलर्स, सरस्वती कॉम्पलेक्स, गढ़वा	राँची	1. राँची 2. खूंटी 3. गुमला 4. सिमडेगा 5. लोहरदगा 6. पलामू * 7. लातेहार 8. गढ़वा 9. पूर्वी सिंहभूम 10. पश्चिमी सिंहभूम 11. सरायकेला–खरसावाँ
2.	सर्वश्री के0 डी0 लिकर एण्ड फर्टिलाईजर प्रा0 लि0, 503, एन0पी0 सेन्टर, न्यू डाकबंगला रोड, पटना	हजारीबाग	1. हजारीबाग 2. रामगढ़ 3. चतरा 4. कोडरमा 5. बोकारो 6. गिरिडीह 7. धनबाद 8. दुमका * 9. जामताड़ा 10. गोड्डा 11. देवघर 12. साहेबगंज 13. पाकुड़

अनुसूची-XII

वितरक अनुज्ञप्तियों (19सी) की सूची

क्रमांक	जिला का नाम	प्रतिष्ठान का नाम	पता
1	राँची	मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया प्रा0 लि0	टाटीसिल्वे, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची
2		मेसर्स बकार्डी मार्टिनी इण्डिया प्रा0 लि0	कांटाटोली, राँची
3		मेसर्स डिआईजियो इण्डिया लि0	कोकर, राँची
4		मेसर्स देवान्स मॉडर्न ब्रिवरीज लि0	कोकर, राँची
5		मेसर्स युनाईटेड स्प्रीट्स लि0	कोकर, राँची
6		मेसर्स बीम ग्लोबल स्प्रीट एण्ड वाईन	रेडियम रोड, राँची
7		M/s Molson Coors India Pvt. Ltd	टाटीसिल्वे, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची
8		मेसर्स युनाईटेड ब्रिवरीज लि0	कोकर, राँची
9		मेसर्स रेडिको खेतान प्रा0 लि0	टाटीसिल्वे, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची
10		मेसर्स जगतजीत इण्डस्ट्रीज लि0	टाटीसिल्वे, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची
11		मेसर्स एलायड ब्लेन्डर्स एण्ड डिस्टीलर्स प्रा0 लि0	टाटीसिल्वे, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची
12		मेसर्स कॉर्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा0 लि0	सामलौंग, राँची
13		मेसर्स स्पेन्सर डिस्टीलरी एण्ड ब्रिवरी प्रा0 लि0	टुपुदाना, राँची
14		मेसर्स जेमिनी डिस्टीलरी (झा0) प्रा0 लि0	टाटीसिल्वे, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची
15		मेसर्स भूटान ब्रिवरीज लि0	टाटीसिल्वे, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची
16		मेसर्स अल्कोब्रिव प्रा0 लि0	कटहल मोड़, राँची

17	राँची	मेसर्स रॉक एण्ड स्टॉर्म डिस्टीलरीज प्रा0 लि0	कोकर, राँची
18		मेसर्स श्रीलैब ब्रिवरीज प्रा0 लि0	टाटीसिल्वे, राँची
19		मेसर्स पिनकॉन स्प्रीट्स लिमिटेड	टाटीसिल्वे, राँची
20		मेसर्स अजन्ता बॉटलर्स एण्ड ब्लेन्डर्स प्रा0 लि0	हटिया, राँची
21		मेसर्स सिलिका बॉटलिंग एवं ब्लेन्डिंग प्रा0 लि0	कमड़े रातू, राँची
22		मेसर्स एम0पी0 बीयर प्रोडक्ट लिमिटेड	टुपुदाना, राँची
23	रामगढ़	मेसर्स पॉली हिल्स ब्रिवरी लिमिटेड	पतरातू, रामगढ़
24	हजारीबाग	मेसर्स स्कॉल ब्रिवरीज लि0 (यूनिट हरियाणा ब्रिवरीज) मुरथॉल सोनीपत, हरियाणा (वर्त्तमान में SAB Miller के नाम से)	लेपो रोड, हजारीबाग
25	बोकारो	सर्वश्री ओम बॉटलर्स एण्ड ब्लेन्डर्स प्रा0 लि0	बोकारो
26		मेसर्स मोहन मिकिन लि0	बोकारो
27		मेसर्स विनायक डिस्टीलरीज प्रा0 लि0	बोकारो
28		मेसर्स सोम डिस्टीलरीज एण्ड ब्रिवरीज लिमिटेड	बोकारो
29		मेसर्स ए0डी0एस0 स्प्रीट्स प्रा0 लि0	बोकारो

अनुसूची-XIII

भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) की वितरक अनुज्ञप्ति (19 ई) की सूची

राँची	जिला का नाम	प्रतिष्ठान का नाम	पता
1	राँची	मेसर्स परनॉड रिकार्ड इण्डिया प्रा0 लि0	टाटीसिल्वे, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राँची
2	राँची	मेसर्स युनाईटेड स्प्रीट्स लिमिटेड (डियाईजियो ग्रुप कम्पनी)	टुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र, हटिया
3	राँची	मेसर्स बीम ग्लोबल स्प्रीट एण्ड वाईन	रेडियम रोड, राँची
4	पूर्वी सिंहभूम	मेसर्स एस0आर0पी0 ऑयल प्रा0 लि0	टाटानगर

अनुसूची-XIV

भारत में निर्मित वाईन की वितरक अनुज्ञप्ति (19 एफ) की सूची

क्रमांक	जिला का नाम	प्रतिष्ठान का नाम	पता
1	राँची	मेसर्स सुला विनयार्डस प्रा0 लि0	राँची

अनुसूची-XV

विभिन्न प्रकार की अनुज्ञप्तियों से संबंधित शुल्क एवं उत्पाद कर से संबंधित सूचना

(i)	भारत निर्मित विदेशी शराब थोक बिक्री उत्पाद प्रपत्र–1	रु. 6.00 (छः लाख) प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिये ।
(ii)	झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा धारित भारत निर्मित विदेशी शराब थोक बिक्री उत्पाद प्रपत्र–1 बी	1– भारत निर्मित विदेशी शराब की थोक बिक्री के अनुज्ञप्तिधारी (सैन्य एवं अर्द्ध सैन्य बलों की थोक बिक्री अनुज्ञप्ति को छोड़कर) को प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक, गत माह में बिक्री की गयी विदेशी शराब/बीयर (अन्य कोई शराब जिसे राज्य सरकार द्वारा विदेशी शराब घोषित किया गया है) की मात्रा के लिये, निर्धारित, "अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 4 प्रतिशत", अनुज्ञाशुल्क के रूप में जमा करना होगा। 2– भारत निर्मित विदेशी शराब के थोक अनुज्ञाधारी को (सैन्य एवं अर्द्ध सैन्य बलों की थोक बिक्री अनुज्ञप्ति को छोड़कर), आगामी वित्तीय वर्ष के लिये, अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क के रूप में, वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल से माह फरवरी तक बिक्री की गई कुल पेटियों (cases) पर (भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर के लिये) प्रति पेटी रु. 7.10 की दर से अग्रिम अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क देय होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के मार्च माह में बिक्री की गयी कुल पेटियों के एवज् में अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क आगामी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की 10वीं तारीख तक जमा करना होगा।
(iii)	भारत निर्मित विदेशी शराब कम्पाउण्डिंग एवं ब्लेंडिंग (उत्पाद प्रपत्र–19)	रु. 4.00 (चार लाख)
(iv)	भारत निर्मित विदेशी शराब बंधित भण्डागार (उत्पाद प्रपत्र–19बी)	रु. 3.00 (तीन लाख)

<table>
<tr><td rowspan="3">(v)</td><td rowspan="3">भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर एवं लो स्ट्रेन्थ कार्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज, लिक्योर की वितरकता अनुज्ञप्ति (उत्पाद प्रपत्र 19सी)</td><td>मदिरा का प्रकार</td><td>अनुज्ञप्ति शुल्क की दर</td></tr>
<tr><td>भारत निर्मित विदेशी शराब यथा–व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोदका एवं मीडियम लिकर</td><td>ब्राण्डधारक कम्पनी द्वारा घोषित अनुमानित बिक्री पर रु. 3/– प्रति एल0पी0 लीटर, प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए एकमुश्त अग्रिम रूप से देय होगा।</td></tr>
<tr><td>बीयर, वाईन, लो स्ट्रेन्थ कार्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज, लिक्योर इत्यादि।</td><td>ब्राण्डधारक कम्पनी द्वारा घोषित अनुमानित बिक्री पर रु. 3/– प्रति बल्क लीटर, प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए एकमुश्त अग्रिम रूप से देय होगा।</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>मूल में बोतल बंद भारत में आयातित विदेशी मदिरा (उत्पाद प्रपत्र 19 ई)</td><td colspan="2">रु0 1.00 (एक लाख)</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>भारत निर्मित विदेशी शराब बॉटलिंग (उत्पाद प्रपत्र–20)</td><td colspan="2">रु0 2.00 (दो लाख)</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>भारत निर्मित वाईन की वितरकता अनुज्ञप्ति (उत्पाद प्रपत्र 19 एफ)</td><td colspan="2">रु0 1.00 (एक लाख)</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति का अनुज्ञाशुल्क (उत्पाद प्रपत्र 27 ड़)</td><td colspan="2">(i) राज्य के देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की थोक आपूर्ति के निमित्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद प्रपत्र–27 'ड़' में एकीकृत अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।
(ii) राज्य के देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के थोक बिक्री के अनुज्ञप्तिधारी हेतु अनुज्ञाशुल्क, देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब की बिक्री की गयी प्रति पैकेज्ड इकाई के लिये निर्धारित अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 4 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।
(iii) प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिये देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के थोक अनुज्ञप्ति का नवीकरण शुल्क, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रु. 2/– (दो) प्रति एल0पी0 लीटर की दर से अधिरोपित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>(x)</td><td>देशी शराब के विनिर्माण हेतु प्राप्त अनन्य विशेषाधिकार ग्रहिता का अनुज्ञाशुल्क (उत्पाद प्रपत्र 27 ग)</td><td colspan="2">रु. 2/– प्रति एल0पी0लीटर</td></tr>
<tr><td>(xi)</td><td>मसालेदार देशी शराब के विनिर्माण हेतु प्राप्त अनन्य विशेषाधिकार ग्रहिता का अनुज्ञाशुल्क (उत्पाद प्रपत्र 27 घ)</td><td colspan="2">रु. 2/– प्रति एल0पी0लीटर</td></tr>
</table>

अनुसूची-XVI

होटल, रेस्तराँ, क्लब, बार एवं कैन्टिन पर अनुज्ञाशुल्क

i.	पाँच सितारा होटल के लिए पूरे राज्य में	होटल, रेस्तराँ, एवं बार की अनुज्ञप्ति के लिए	20.00 (बीस) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।
ii.	चार सितारा एवं तीन सितारा होटलों के लिए। क्रमांक– i को छोड़कर पूरे राज्य में	तदैव	18.00 (अठारह) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।
iii.	जमशेदपुर, बोकारो स्टील सिटी, चास (जोधाडीह मोड़ सहित), हजारीबाग, आदित्यपुर, गम्हरिया एवं रामगढ़ शहरी क्षेत्र तथा सभी नगर निगम क्षेत्र के लिए (देवघर नगर निगम को छोड़कर)	तदैव	18.00 (अठारह) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।
iv.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित स्थानों के लिए (क्रमांक– i, ii एवं iii को छोड़कर पूरे राज्य में।)	तदैव	12.00 (बारह) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।
v.	क्रमांक– iii में वर्णित स्थल को छोड़कर, देवघर नगर निगम क्षेत्र एवं अन्य जिला मुख्यालय, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए।	तदैव	12.00 (बारह) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।
vi.	क्रमांक– i, ii , iii एवं v में वर्णित स्थान को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों के लिए	तदैव	8.00 (आठ) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।
vii.	राँची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, चास (जोधाडीह मोड़ सहित), हजारीबाग, आदित्यपुर, गम्हरिया एवं रामगढ़ शहरी क्षेत्र तथा सभी नगर निगम क्षेत्रों के लिए (देवघर नगर निगम को छोड़कर) में अवस्थित क्लब	क्लब अनुज्ञप्ति के लिए	10.00 (दस) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।
viii.	कंडिका–vii को छोड़कर अन्य स्थलों पर अवस्थित क्लब	तदैव	8.00 (आठ) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।
ix	कैन्टिन अनुज्ञप्ति (केवल Canteen Tenant System हेतु संचालित अनुज्ञप्ति के लिए)	तदैव	1.50 (एक लाख पचास हजार) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए।

अनुसूची-XVII

स्वतंत्र बीयर बार पर अनुज्ञाशुल्क

i.	राँची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, चास (जोधाडीह मोड़ सहित), हजारीबाग, आदित्यपुर, गम्हरिया एवं रामगढ़ शहरी क्षेत्र तथा सभी नगर निगम क्षेत्रों के लिए (देवघर नगर निगम को छोड़कर)	तदैव	8.00 (आठ) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
ii.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित स्थानों के लिए (क्रमांक– i को छोड़कर पूरे राज्य में।)	तदैव	8.00 (आठ) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
iii.	क्रमांक– i में वर्णित स्थल को छोड़कर, देवघर नगर निगम क्षेत्र एवं अन्य जिला मुख्यालय, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए।	तदैव	5.00 (पाँच) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।
iv.	क्रमांक– i एवं iii में वर्णित स्थल को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों के लिए	तदैव	3.00 (तीन) लाख रु. प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग के लिए।

अनुसूची-XVIII

अस्थायी एवं ओकेजनल बार लाईसेंस हेतु अनुज्ञाशुल्क

i.	लाभ अर्जित न करने वाले मनोरंजन स्थल, क्लबों, संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा उनके घर/निजी स्थान पर आयोजित उत्सव के लिए।	रु. 2500/– (दो हजार पाँच सौ रु.) प्रति दिन
ii.	लाभ अर्जित करने वाले मनोरंजन स्थल, वाणिज्यिक संस्थाओं यथा क्लब, मैरेज हॉल, होटल, रेस्तराँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बारात घर इत्यादि में (गैर वाणिज्यिक उद्देश्य से आयोजित उत्सव)	रु. 5000/– (पाँच हजार रु.) प्रतिदिन
iii.	लाभ अर्जित करने वाले मनोरंजन स्थल, वाणिज्यिक संस्थाओं यथा क्लब, मैरेज हॉल, होटल, रेस्तराँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बारात घर इत्यादि में (वाणिज्यिक उद्देश्य से आयोजित उत्सव)	रु. 7500/– (सात हजार पाँच सौ) प्रतिदिन

अनुसूची-XIX

प्रोसेसिंग फीस/लेबलों का निबंधन/नवीकरण शुल्क

Sl. No.	Kind of fee	For first approval & Registration fee for a financial year or the part of the financial year	Renewal fee for a financial year or the part of the financial year
1	Processing Fee	Rs. 2000/- for each label	Rs. 2000/- for each label

Sl. No.	The estimated sale of the brand owning company (licensee) in cases in a financial year	For first approval & Registration fee for a financial year or the part of the financial year	Renewal fee for a financial year or the part of the financial year
1	For estimated sale upto 1,50,000 cases for a particular brand of India Made Foreign Liquor, Beer, Wine, Low Strength Carbonated Alcohol Beverages, Medium Liquor	Rs. 60,000/- for each label	Rs. 30,000/- for each label
2	For estimated sale of more than 1,50,000 cases for a particular brand of India Made Foreign Liquor, Beer, Wine, Low Strength Carbonated Alcohol Beverages, Medium Liquor	Rs. 1,00,000/- for each label	Rs. 50,000/- for each label
3	For sale of any quantity of a particular brand of India Made Foreign Liquor, Beer, Wine, Low Strength Carbonated Alcohol Beverages, Medium Liquor to canteen stores department (CSD)/ Military Forces & Para Military Forces	Rs. 60,000/- for each label	Rs. 30,000/- for each label
4	For sale of any quantity of country liquor & spiced country liquor	Rs. 30,000/- for each label	Rs. 15,000/- for each label

Sl. No.	Date of submission of an application	Late Fee
1	Between 16th February and 31st March of the current financial year	Rs. 10000/- for each label
2	Between 1st April to 30th June of the next financial year	Rs. 15000/- for each label
3	After 30th June	Re registration of the label is required.

अनुसूची-XX

आसवनी पर अनुज्ञाशुल्क

(i)	30 लाख या उससे कम बल्क लीटर की क्षमता तक	रु. 08 (आठ) लाख प्रति वित्तीय वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिए, एकमुश्त अग्रिम रूप से जमा की जाएगी ।
(ii)	30 लाख बल्क लीटर से अधिक एवं 60 लाख बल्क लीटर की क्षमता तक	रु. 12 (बारह) लाख प्रति वित्तीय वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिए, एकमुश्त अग्रिम रूप से जमा की जाएगी ।
(iii)	60 लाख बल्क लीटर क्षमता से ऊपर	रु. 15 (पन्द्रह) लाख प्रति वित्तीय वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिए, एकमुश्त अग्रिम रूप से जमा की जाएगी ।

अनुसूची-XXI

औषधि प्रसाधन निर्मित्तयाँ (एम. एण्ड टी. पी.) पर अनुज्ञाशुल्क

(i)	थोक बिक्री	रु. 3,000/– (तीन हजार) प्रति वर्ष	
(ii)	खुदरा बिक्री	रु. 1,000/– (एक हजार) प्रति वर्ष	

अनुसूची-XXII

खुदरा देशी शराब/विदेशी शराब/बीयर/मसालेदार देशी शराब/लो स्ट्रेन्थ अल्कोहलिक बिवरेजेज/वाईन/शैम्पेन इत्यादि पर अनुज्ञाशुल्क

(i)	देशी शराब	रु. 50.00 प्रति एल0पी0ली0	
(ii)	मसालेदार देशी शराब	रु. 50.00 प्रति एल0पी0ली0	
(iii)	विदेशी शराब	रु. 175.00 प्रति एल0पी0ली0	
(iv)	बीयर	रु. 15.00 प्रति बल्क लीटर	
(v)	लो स्ट्रेन्थ कॉर्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज, वाईन, शैम्पेन इत्यादि	रु. 15.00 प्रति बल्क लीटर	

अनुसूची-XXIII

उत्पाद कर

(i)	60 यू0पी0 की देशी शराब	रु. 25/— (पच्चीस) प्रति एल0पी0ली0
(ii)	मसालेदार देशी शराब	रु. 25/— (पच्चीस) प्रति एल0पी0ली0
(iii)	विदेशी शराब	
(a)	उत्तम कोटि (प्रति पेटी 12 बोतल, 24 पिन्ट अथवा 48 निप) रु. 900 (नौ सौ) लागत मूल्य तक (उत्पाद कर एवं वाणिज्य कर छोड़कर)	रु. 130/— (एक सौ तीस) प्रति एल0पी0ली0
(c)	अति उत्तम कोटि (प्रति पेटी 12 बोतल, 24 पिन्ट अथवा 48 निप) रु. 901 (नौ सौ एक) से अधिक लागत मूल्य तक (उत्पाद कर एवं वाणिज्य कर छोड़कर)	रु. 150/— (एक सौ पचास) प्रति एल0पी0ली0
(iv)	बीयर	
(a)	माइल्ड/स्ट्रांग बीयर (0-5% v/v से अधिक किन्तु 8 % v/v तक)	रु. 30/— (तीस) प्रति बल्क लीटर
(b)	सुपर स्ट्रांग बीयर (8 % v/v से ऊपर)	रु. 35/— (पैंतीस) प्रति बल्क लीटर
(c)	वाईन	रु. 66.66 प्रति बल्क लीटर या एक्स वाईनरी प्राईस का 25 प्रतिशत जो अधिक हो
(d)	लो स्ट्रेन्थ कॉर्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज	रु. 30/— (तीस) प्रति बल्क लीटर
(e)	मीडियम लिकर	रु. 50/— (पचास) प्रति एल0पी0लीटर

अनुसूची-XXIV

परमिट फी/संचलन शुल्क

(i)	होटल रेस्तराँ बार एवं क्लब के अनुज्ञप्ति धारियों को 750 मि0ली0 की भारत निर्मित विदेशी शराब की प्रति बोतल	रु. 175/– प्रति एल0पी0 लीटर की दर से पारक/परमिट फी	
(ii)	होटल रेस्तराँ, बार, क्लब एवं बीयर बार के लिये 650 मि0ली0 की प्रति बोतल बीयर पर	रु. 15/– प्रति बल्क लीटर की दर से परमिट फी	
(iii)	भारत निर्मित विदेशी शराब का संचलन शुल्क	रु. 6.00 प्रति एल0पी0लीटर	
(iv)	बीयर/वाईन का संचलन शुल्क	रु. 6.00 प्रति बल्क लीटर	

अनुसूची-XXV

आयात एवं निर्यात शुल्क

(i)	भारत निर्मित विदेशी शराब	रु. 12/– (बारह) प्रति एल0पी0ली0 आयात शुल्क रु. 8.00 (आठ) प्रति एल0पी0ली0 निर्यात शुल्क	
(ii)	वाईन, शैम्पेन, मोजेल्स, शेरी, क्लारेंट, बरगण्डी एवं राईन वाईन	रु. 4.00 (चार) प्रति बल्क लीटर आयात शुल्क रु. 8.00 (आठ) प्रति एल0पी0ली0 निर्यात शुल्क	
(iii)	संशोधित सुषव/ई0एन0ए0	0.25 प्रति बल्क लीटर पारक शुल्क 0.25 प्रति बल्क लीटर निर्यात शुल्क	
(iv)	संशोधित सुषव	0.25 प्रति बल्क लीटर आयात शुल्क (देशी शराब के विनिर्माण के निमित्त) रू0 6.00 प्रति बल्क लीटर (संशोधित सुषव से ई0एन0ए0 निर्माण हेतु)	

(v)	बीयर	रु. 6/– प्रति बल्क लीटर आयात शुल्क रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर निर्यात शुल्क	
(vi)	इथनॉल (विकृत)	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर रेगुलेशन फी	
(vii)	ई.एन.ए. /माल्ट स्पिरिट/ एच.बी.एस.	रु. 10.00 (दस) प्रति एल0पी0ली0 आयात शुल्क	
(viii)	विकृत सुषव	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर आयात शुल्क	
(ix)	सुषव का परिवहन शुल्क	रु. 2.50 प्रति बल्क लीटर	

अनुसूची-XXVI

विदेशी शराब/बीयर की बोतलबंदी फीस

विदेशी शराब

क्रमांक	बोतल का माप	बोतलबन्दी फीस
1	1000 मि0ली0	रु. 1.35 प्रति बोतल
2	750 मि0ली0	रु. 1.00 प्रति बोतल
3	375 मि0ली0	रु. 0.50 प्रति पिन्ट
4	180 मि0ली0	रु. 0.25 प्रति नीप

बीयर

क्रमांक	बोतल का माप	बोतलबन्दी फीस
1	650 मि0ली0	रु. 1.00 प्रति बोतल
2	500 मि0ली0	रु. 0.50 प्रति बोतल
3	330 मि0ली0	रु. 0.33 प्रति बोतल

अनुसूची-XXVII

आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के झारखण्ड राज्य में आयात हेतु शुल्क

1.	उत्पाद प्रपत्र–19 ई0 की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अप्रत्यपर्णीय आवेदन शुल्क	रु. 10,000/– (दस हजार)	
2.	उत्पाद प्रपत्र–19ई0 हेतु अनुज्ञाशुल्क	रु. 1,00,000/– (एक लाख) प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए	
3.	भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) का लेबल निबंधन शुल्क	रु. 30,000/– (तीस हजार) प्रति लेबल, प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए	
4.	भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) का लेबल नवीकरण शुल्क	रु. 15,000/– (पन्द्रह हजार) प्रति लेबल, प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए	
5.	भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के झारखण्ड राज्य में आयात के निमित्त परिवहन हेतु पास फी	व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोदका इत्यादि	रु. 180/– ब0ली0
		बीयर	रु. 30/– ब0ली0
		लो स्ट्रेन्थ कॉर्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज	रु. 25/– ब0ली0
		वाईन, लिक्योर, शैम्पेन	रु. 80/– ब0ली0
6.	भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के बिक्री हेतु विदेशी शराब दुकान एवं कम्पोजिट शराब दुकान के अनुज्ञाधारियों द्वारा अदा किया जानेवाला विशेषाधिकार शुल्क (Privilege Fee)	रु. 50,000/– (पचास हजार) प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए अग्रिम रूप से देय	
7.	होटल, रेस्तराँ, बार एवं क्लब के अनुज्ञाधारियों द्वारा भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के पेग में बिक्री हेतु इस प्रकार की मदिरा को प्राप्त करने के लिए परमिट फी	व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जीन, वोदका इत्यादि	रु. 180/– ब0ली0
		बीयर	रु. 30/– ब0ली0
		लो स्ट्रेन्थ कॉर्बोनेटेड अल्कोहलिक बिवरेजेज	रु. 25/– ब0ली0
		वाईन, लिक्योर, शैम्पेन	रु. 80/– ब0ली0

अनुसूची-XXVIII

वर्षवार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एल.पी. लीटर में)

जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
राँची	1664895	1748140	1870510	1875520	1913030	1951291	1951291
खूँटी	38500	40425	43255	47580	48532	49503	54453
गुमला	159500	167475	179198	182782	186438	190167	190167
सिमडेगा	33000	34650	37076	37818	38574	39345	39345
लोहरदगा	82500	86625	92689	94543	96434	98363	98363
पू. सिंहभूम	2405993	2526293	2703134	2704001	2758081	2813243	2813243
प. सिंहभूम	198000	207900	222453	249156	254139	259222	285144
स. खरसावाँ	260299	273314	292446	385415	393123	400985	441084
प्रमण्डल योग	**4842687**	**5084822**	**5440761**	**5576815**	**5688351**	**5802119**	**5873090**
पलामू	237600	249480	266944	314924	321222	327646	491469
लातेहार	33000	34650	37076	50886	51904	52942	74119
गढ़वा	153890	161584	172895	198829	202806	206862	299950
प्रमण्डल योग	**424490**	**445714**	**476915**	**564639**	**575932**	**587450**	**865538**
हजारीबाग	295680	310464	332196	338840	345617	352529	405408
कोडरमा	181315	190381	203708	224079	228561	233132	233132
चतरा	105072	110326	118049	120417	122825	125282	156603
रामगढ़	663788	696977	745765	745765	760681	775895	775895
बोकारो	1469079	1542533	1650510	1700510	1734520	1769210	1769210
गिरिडीह	176986	185835	198843	246380	251308	256334	294784
धनबाद	2200440	2310462	2472194	2521638	2572071	2623512	2623512
प्रमण्डल योग	**5092360**	**5346978**	**5721265**	**5897629**	**6015583**	**6135894**	**6258544**
दुमका	79200	83160	88981	90761	92576	94428	103871
जामताड़ा	142670	149804	160290	163497	166766	170101	170101
गोड्डा	35145	36902	39485	40275	41081	41903	46093
देवघर	163768	171956	183993	187673	191426	195255	214781
साहेबगंज	172920	181566	194276	194276	198162	202125	202125
पाकुड़	215160	225918	241732	241732	246567	251498	251498
प्रमण्डल योग	**808863**	**849306**	**908757**	**918214**	**936578**	**955310**	**988469**
कुल योग	**11168400**	**11726820**	**12547698**	**12957297**	**13216444**	**13480773**	**13985641**

अनुसूची-XXIX

वर्षवार भारत निर्मित विदेशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एल.पी. लीटर में)

जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
राँची	1777380	1866249	1996886	2333331	2449998	2621498	2883648
खूँटी	48400	50820	54377	70902	74447	79658	103555
गुमला	176000	184800	197736	200596	210626	225370	236639
सिमडेगा	137029	143881	153953	172079	180683	193331	241664
लोहरदगा	81775	85864	91874	103047	108199	115773	121562
पू. सिंहभूम	2841862	2983955	3192832	3508312	3683728	3941589	3941589
प. सिंहभूम	367400	385770	412774	586783	616122	659251	725176
स. खरसावाँ	210925	221471	236974	359918	377914	404368	444805
प्रमण्डल योग	**5640771**	**5922810**	**6337406**	**7334968**	**7701717**	**8240838**	**8698638**
पलामू	298320	313236	335163	369443	387915	415069	477329
लातेहार	67980	71379	76376	90763	95301	101972	112169
गढ़वा	101970	107069	114564	143968	151166	161748	194098
प्रमण्डल योग	468270	491684	526103	604174	634382	678789	783596
हजारीबाग	376253	395066	422721	493511	518187	554460	665352
कोडरमा	**139471**	**146445**	**156696**	**222413**	**233534**	**249881**	**349833**
चतरा	86579	90908	97272	118713	124649	133374	186724
रामगढ़	663920	697116	746914	769689	808173	864745	864745
बोकारो	1119102	1175057	1359185	1440964	1513012	1618923	1618923
गिरिडीह	432461	454084	485870	588930	618377	661663	860162
धनबाद	2306248	2421560	2489196	2654629	2787360	2982475	3131599
प्रमण्डल योग	**5124034**	**5380236**	**5757854**	**6288849**	**6603292**	**7065521**	**7677338**
दुमका	171006	179556	192125	284020	298221	319096	351006
जामताड़ा	185891	195186	208849	227117	238473	255166	255166
गोड्डा	137940	144837	154976	174217	182928	195733	234880
देवघर	247583	259962	278159	360059	378062	404526	505658
साहेबगंज	141504	148579	158980	179626	188607	201809	211899
पाकुड़	128436	134858	144298	167421	175792	188097	197502
प्रमण्डल योग	**1012360**	**1062978**	**1137387**	**1392460**	**1462083**	**1564427**	**1756111**
कुल योग	**12245435**	**12857708**	**13758750**	**15620451**	**16401474**	**17549575**	**18915683**

अनुसूची-XXX

वर्षवार बीयर का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (बल्क लीटर में)

जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
राँची	2210879	2653055	3316319	4128283	4747525	5222278	5744506
खूँटी	62400	74880	93600	127040	146096	160706	176777
गुमला	125007	150008	187510	225012	258764	284640	313104
सिमडेगा	124800	149760	187200	224640	258336	284170	312587
लोहरदगा	78298	93958	117448	140938	162079	178287	178287
पू. सिंहभूम	3501305	4201566	5251958	4201602	4831842	5315026	5315026
प. सिंहभूम	453960	544752	680940	817128	939697	1033667	1137034
स. खरसावाँ	320518	384622	480778	724134	832754	916029	1053433
प्रमण्डल योग	**6877167**	**8252601**	**10315753**	**10588777**	**12177093**	**13394803**	**14230754**
पलामू	460212	552254	690318	879902	1011887	1113076	1446999
लातेहार	112844	135413	169266	209890	241374	265511	345164
गढ़वा	410904	493085	616356	677992	779691	857660	1286490
प्रमण्डल योग	**983960**	**1180752**	**1475940**	**1767784**	**2032952**	**2236247**	**3078653**
हजारीबाग	340798	408958	511198	893437	1027453	1130198	1469257
कोडरमा	165728	198874	248593	371912	427699	470469	611610
चतरा	102773	123328	154160	304997	350746	385821	400149
रामगढ़	690656	828787	1035984	1395981	1605378	1765916	1765916
बोकारो	1960140	2352168	1751683	1816870	2089401	2298341	2298341
गिरिडीह	300400	360480	450600	617320	709918	780910	1015183
धनबाद	1390740	1668888	3274637	3929564	4518999	4970899	4970899
प्रमण्डल योग	**4951235**	**5941483**	**7426855**	**9330081**	**10729594**	**11802554**	**12531355**
दुमका	285648	342778	428473	492744	566656	623322	779153
जामताड़ा	124862	149834	187293	224752	258465	284312	312743
गोड्डा	155680	186816	233520	268548	308830	339713	407656
देवघर	440117	528140	660175	865810	995682	1095250	1423825
साहेबगंज	152761	183313	229141	229141	263512	289863	318849
पाकुड़	163725	196470	245588	245588	282426	310669	341736
प्रमण्डल योग	**1322793**	**1587351**	**1984190**	**2326583**	**2675571**	**2943129**	**3583962**
कुल योग	**14135155**	**16962187**	**21202738**	**24013225**	**27615210**	**30376733**	**33424724**

अनुसूची-XXXI

वर्षवार मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एल.पी. लीटर में)

जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
राँची	226589	237918	254572	255600.00	260712	265926	268586
खूँटी	5500	5775	6179	6797.00	6933	7072	7143
गुमला	56100	58905	63028	64289.00	65575	66887	67556
सिमडेगा	33000	34650	37076	37818.00	38574	39345	39738
लोहरदगा	43725	45911	49125	50108.00	51110	52132	52653
पू. सिंहभूम	308439	323861	346531	346600.00	353532	360603	364209
प. सिंहभूम	33880	35574	38064	38064.00	38825	39602	39998
स. खरसावाँ	11662	12245	13102	13364.00	13631	13904	14043
प्रमण्डल योग	**718895**	**754839**	**807677**	**812640**	**828892**	**845471**	**853926**
पलामू	53130	55787	59692	65926.00	67245	68590	69276
लातेहार	13200	13860	14830	17187.00	17531	17882	18061
गढ़वा	31570	33149	35469	36179.00	36903	37641	38017
प्रमण्डल योग	**97900**	**102796**	**109991**	**119292**	**121679**	**124113**	**125354**
हजारीबाग	34122	35828	38336	39103.00	39885	40683	41090
कोडरमा	29885	31379	33576	34248.00	34933	35632	35988
चतरा	74290	78005	83465	83465.00	85135	86838	10341
रामगढ़	8580	9009	9640	9841.00	10038	10239	87706
बोकारो	197969	207867	222418	224418.00	228906	233484	235819
गिरिडीह	21305	22370	23936	24415.00	24903	25401	25655
धनबाद	319098	335053	358507	365677.00	372991	380451	384256
प्रमण्डल योग	**685249**	**719511**	**769878**	**781167**	**796791**	**812728**	**820855**
दुमका	79292	83257	89085	90867.00	92684	94538	95483
जामताड़ा	38300	40215	43030	43891.00	44769	45664	46121
गोड्डा	21989	23088	24704	25198.00	25702	26216	26478
देवघर	52448	55070	58925	60104.00	61306	62532	63157
साहेबगंज	74580	78309	83791	83791.00	85467	87176	88048
पाकुड़	75900	79695	85274	85274.00	86979	88719	89606
प्रमण्डल योग	**342509**	**359634**	**384809**	**389125**	**396907**	**404845**	**408893**
कुल योग	**1844553**	**1936780**	**2072355**	**2102224**	**2144269**	**2187157**	**2209028**

अनुसूची-XXXII

वर्षवार एवं जिलावार खुदरा उत्पाद दुकानों का अनुज्ञाशुल्क (रु. में)

जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2010-11	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2013-14	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
राँची	438778885.00	465692300	505453935.00	576813170	608649625	647957170	701799790
खूँटी	11606000.00	12326700	13391675.00	17032300	17992915	19179490	23853580
गुमला	43455105.00	45909120	49527750.00	50833030	53341660	56562050	58994535
सिमडेगा	29152075.00	30890575	33457375.00	37265225	39351965	42029975	50934155
लोहरदगा	21796345.00	23062370	24930370.00	27379845	28743210	30459330	31498455
पू. सिंहभूम	685567025.00	727723315	790008220.00	829508680	872710680	928195765	928376065
प. सिंहभूम	82698400.00	87854730	95475400.00	129304945	136565005	145815130	160218410
स. खरसावाँ	55317695.00	58804705	63959520.00	93786610	98963960	105249285	116398720
पलामू	73645680.00	78363460	85340095.00	96893555	102486780	109145015	133274810
लातेहार	15899160.00	16948020	18500090.00	22435525	23770035	25368965	29416035
गढ़वा	33281310.00	35870000	39712240.00	47114680	50134865	53395950	70162850
हजारीबाग	87446345.00	92585520	100170745.00	118663130	125369620	133644070	160800355
रामगढ़	163449740.00	173176205	187711210.00	197096836	207801745	220955765	220999165
कोडरमा	37453345.00	39698985	43014895.00	57417305	60458635	64224410	83850925
चतरा	22375520.00	23725570	25719450.00	31862631	33717915	35903815	47026135
बोकारो	308597350.00	328437495	357779020.00	375668150	394289415	417921340	418038090
गिरिडीह	90101225.00	95282150	102925200.00	125817300	132675295	141591425	181778045
धनबाद	550431400.00	581082070	626263905.00	667869285	702826085	746694760	772981710
दुमका	42135370.00	44884820	48952270.00	66176060	69951515	74639930	83081045
जामताड़ा	43452355.00	45906010	49523970.00	53486105	56186500	59706980	60156295
गोड्डा	29331400.00	31148215	33833050.00	37789845	39984000	42754920	50847390
देवघर	60739580.00	64766750	70726350.00	88386325	93732680	100110150	123744425
साहेबगंज	39429615.00	41744770	45161965.00	48775015	51140355	54129570	56373710
पाकुड़	39485175.00	41827850	45286270.00	49332795	51677290	54587860	56744090
कुल योग	**3005626100.00**	**3187711705**	**3456824970.00**	**3846708347**	**4052521750**	**4310223120**	**4621348785**

अनुसूची-XXXIII

वर्षवार दर्ज अभियोगों की विवरणी

वित्तीय वर्ष	दर्ज अभियोगों की संख्या	संधानित अभियोगों की सं.	प्राप्त संधान शुल्क (रु. में)	जेल	फरार	अज्ञात
1	2	3	4	5	6	7
2009.10	7368	3733	8145550.00	530	501	2065
2010.11	7621	4349	9454258.00	427	533	2189
2011.12	7120	4414	17163930.00	261	489	2058
2012.13	8220	5345	13379650.00	351	614	1910
2013.14	9088	5614	13195042.00	182	704	2587
2014.15	9427	5460	11983725.00	173	802	2974
2015.16	10063	6551	15028000.00	171	1268	2171
2016.17 (दिसम्बर, 2016 तक)	8912	5302	14159950.00	398	1572	1615

223/01/17 • kailashpaper.org • 92631 80313 / 14 / 15